न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं. / प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 50 / 2023

1. रामसिंह पुत्र मांगू जाति नायक निवासी मथानियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीगण

बनाम

1. गणपत पुत्र नारायण नायक जाति नायक निवासी मथानियां तहसील भिनाय केकड़ी
2. प्रेमी देवी पत्नी स्व श्री नाथू नायक जाति नायक निवासी मथानियां तहसील भिनाय केकड़ी
3. जगदीश पुत्र लादू जाति नायक जाति नायक निवासी मथानियां तहसील भिनाय केकड़ी
4. चौथू पुत्र लादू जाति नायक निवासी मथानियां तहसील भिनाय केकड़ी
5. सांवरियां पुत्र उकमा नायक जाति नायक निवासी मथानियां तहसील भिनाय केकड़ी
6. कालू पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी मथानियां तहसील भिनाय केकड़ी
7. रामकरण पुत्र बलदेव जाति गुर्जर निवासी खटाणा का खेड़ा तहसील भिनाय केकड़ी(विलोपित)
8. दयाल पुत्र रामदेव जाति गुर्जर निवासी खटाणा का खेड़ा तहसील भिनाय केकड़ी(विलोपित)
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री त्रिलोक जांगिड़
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा मथानिया पटवार क्षेत्र सिंगावल भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 139 में दर्ज खसरा नं. 728 रकबा 0.15, खसरा नम्बर 883 रकबा 0. 46, खसरा नं. 900 रकबा 0.12, खसरा नं. 901 रकबा 0.12, खसरा नं. 902 रकबा 0.14, खसरा नं. 904 रकबा 0.56 कुल किता 06 कुल रकबा 1.55 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 08 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 09 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 06 तक की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 तक के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार होने के कारण अप्रार्थी संख्या 07 व 08 का नाम पत्रावली से विलोपित

Scanned with CamScanner

कर संशोधित उनवान स्वीाकर किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम मथानिया के खाता संख्या 139 संवत 2071–2074(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा मथानिया पटवार क्षेत्र सिंगावल भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 139 में दर्ज खसरा नं. 728 रकबा 0.15, खसरा नम्बर 883 रकबा 0.46, खसरा नं. 900 रकबा 0.12, खसरा नं. 901 रकबा 0.12, खसरा नं. 902 रकबा 0.14, खसरा नं. 904 रकबा 0.56 कुल किता 06 कुल रकबा 1.55 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार भिनाय को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

Scanned with CamScanner